

गैर सरकारी संगठनों को उनकी क्षमता विस्तार हेतु ऋण

- रु. 5.0 लाख तक का ऋण
- गैर सरकारी संगठन निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत होने चाहिए.
- निःशक्तजनों के समूह की ओर से क्षमता विस्तार



निःशक्तजनों का सशक्तिकरण

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेन्स एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन

(निःशक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

रेड क्रॉस भवन, सैक्टर-12, फरीदाबाद-121007

दूरभाष : 0129-2287512, 0129-2287513, फैक्स : 0129-2284371

ई-मेल : nhfdc97@gmail.com, वेबसाइट : www.nhfdc.nic.in

रो.स. 51/12